राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथू लाल शर्मा बनाम नन्दलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो।	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2025 पारित करते हुये उभयपक्षों को आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1159, 1265, 1268, 1269, 1278/1431, 440, 448, 449, 644/1169 कुल किता 09 कुल रकबा 8.7300 हैक्टेयर वाके ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का विचाराधीन प्रकरण एवं उसमे पारित अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार होना स्पष्ट होता है, जिससे प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को ईजाजत अपील का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान की जाती है एवं चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही रहे है ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसरण में क्षमा किया जाना उचित समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो उपरोक्त विवेचन में	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नाथू लाल शर्मा बनाम नन्दलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि से हितबद्ध होना तथा अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होना जाहिर हुआ है, ऐसेमें अपीलार्थी को पक्षकार प्रकरण बनाये बगैर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को पक्षकार प्रकरण समायोजित कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर